न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्री **कैलाश चन्द गुर्जर** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 23/2022

1. सुव्वत पुत्र झडमल, जाति मेव, निवासी ग्राम लुहेसर, तहसील कामां, (डीग)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, कामां (डीग) राजस्थान

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 08.02.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत दावा पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 9/0.58 गै0मुम0 पहाड साविक खसरा नं0 385/2/0.58 हैक्टर बांके ग्राम रावतपुरा तहसील कामां में स्थित है उक्त आराजी खसरा नम्बर हाल 9/0.58 गै0मुम0 पहाड साविक खसरा नं0 385/2/0.58 हैक्टर में से प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज है। प्रार्थी अपने मुताबिक हिस्से पर काबिज रहकर उक्त रकबा को उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और प्रार्थी सुव्वत पुराने नक्शे में खसरा नम्बर दो को पूर्व दिशा में कामां पहाडी रोड की तरफ करीब 50 वर्षो से कब्जे काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उसी स्थान पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रार्थी मौका कब्जानुसार अपने पुराने खसरा नम्बर के अनुसार काबिज व काश्त करता चला आ रहा है और प्रार्थी मौका कब्जानुसार अपने पुराने खसरा नम्बर के अनुसार काबिज व काश्त है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 385/2/0.58 के नये नम्बर कायम किये गये है जिसमें प्रार्थी का खसरा नम्बर 9/0.58 कायम कर मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच किये खिलाफ कानून व मौका के प्रार्थी के खसरा नम्बर 9/0.58 को नये नक्शा ट्रेस में सही जगह पर दर्ज नही कर अन्य जगह दर्शाया है व खाता संख्या 141 के अन्य खसरा नम्बरान को भी हाल ट्रेस नक्शा में गलत दर्शाया है। जबकि प्रार्थी का पूर्व से ही पुराने नक्शे के आधार पर मुताबिक मौका कब्जा कर प्रार्थी अपने मुताबिक हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस में गलत दर्ज किये गये खसरा नम्बर से प्रार्थी को शख्त हक तलफी हो रही है इसलिए प्रार्थी को मौका कब्जा के अनुसार नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त में शुद्धि चाहता है। जो न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र इस कदर स्वीकार फरमाया जावे कि हाल बन्दोबस्त नक्शा में खसरा नम्बर 9/0.58 को मौका कब्जा के अनुसार कायम किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार कामां (अप्रार्थी) ने जबाव अपने पत्र कमांक/2022/671 दिनांक 4.4.2022 के द्वारा प्रस्तुत किया कि ग्राम रावतपुरा नवीन जमाबन्दी सं0 2067–70 के खाता स0 129 में आराजी ख0नं0 385/2 रकवा 0.58 है0 किस्म गै0मु0पहाड जिसमें सुभान व सुब्बत पि0 झडमल व हि0 जाति मेव निवासी लुहेसर खातेदार दर्ज रिकार्ड है । ग्राम रावतपुरा की नवीन जमाबन्दी सं0 2074–77 के खाता सं0 141 में आ0ख0नं0 9 (साविक –385/2)रकवा 0.58 हैक्ट0 किस्म गै0मु0 पहाड सुभान सुब्बत पि0 झडमल व हिस्सा जाति मेव निवासी लुहेसर खातेदार दर्ज रिकार्ड है । सुभान खां, सुब्बत पि0 झडमल जाति मेव नक्शे में खसरा नम्बर 2 के पूर्व दिशा में कामा पहाडी रोड की तरफ करीब 50 वर्षो से कब्जे काश्त करते आ रहे हैं । नक्शे में भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा 385/2 रकवा 0.58 के नवीन खसरा नम्बर 9 रकवा 0.58 है बनाया गया है । जिसे कामां पहाडी रोड से सटा हुआ न बनाकर पश्चिम दिशा में बना दिया है जो गलत है क्योंकि प्रार्थी का कब्जा काश्त पुराने नक्शा से कामां पहाडी रोड से सटा हुआ है । नक्शा में आ0ख0नं0 5/0.01सिवायचक दर्ज है जो गलत है । तथा खसरा नम्बर 6/0.15 वन विभाग के नाम दर्ज है यह भी गलत है । अतः ख0नं0 5/0.01, 6/0.15 रकवा 0.16 को सुभान खां सुब्बत के नाम दर्ज हो यह भी गलत है । क्योंकि उक्त जगह या उक्त स्थान पर सुभान व सुब्बत का कब्जा काश्त है । प्रार्थीया का पुराना ख0नं0 385/2 रकवा 0.58 हैक्टर था

उपखण्ड अधिकारी

जिसकी पूर्ति हाल खसरा नम्बर 5/0.01, 6/0.15 कुल रकवा 0.16 हैक्टर व शेष 0.42 हैक्टर रकवा हाल खसरा नम्बर 9 के पूर्वी भाग में से 0.05, हैक्टर व हाल खसरा नम्बर 4 के पूर्वी भाग से हाल खसरा नम्बर 6 के पश्चिम की तरफ से 0.37 हैक्टर रकवा दिया उचित होगा । प्रार्थीयान सुभान सुब्बत को प्रस्तावित शुद्धि किया जाना उचित होगा । तथा खसरा नम्बर 9/1 रकवा 0.53 4/1 रकवा 2 /15 हैक्टर पर वन विभाग भरतपुर खातेदार दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है । इस सम्बन्ध में वन विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/670 दिनांक 4.9.2023 के द्वारा शुद्धि किया जाने पर आपत्ति के लिए पत्र लिखा गया । उपस्थित नहीं आये ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी की नकल सं02067–70, नक्शा ट्रेश जमाबन्दी 2074–77 सलग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 25.11. 2021 की सलग्न है ।जिसमें भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे में व रिकार्ड में दोंनों खातेदारों के लिए खसरा नम्बर 9 (साविक 385/2)दूसरी जगह दे दिया है जहां पर उनका कब्जा ही नहीं रहा (केवल कुछ भाग को छोडकर) तथा जिस स्थान पर कब्जा काश्त है उस स्थान को (ख0नं0 4, 6) वन विभाग वन मण्डल अधिकारी भरतपुर के नाम खसरा नम्बर 5 गै0मु0 कुआ सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया है । उक्त गै0मु0पुराना चूडीदार बना मिला जिसे उपरोक्त दोंनों खातेदारो द्वारा बताया गया है । उक्त दोंनों खातेदारों को उनके कब्जा काश्तकानुसार शुद्ध किया जाना उचित है ।

अतः तहसीलदार कामां के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा । । प्रार्थीयान सुभान सुब्बत को नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 5/0.01, 6/0.15, 4/20.37, 9/2 /0.05 किता 4 रकवा 0.58 हैक्टर पर शुद्ध किया जाता है तथा खसरा नम्बर 9/2/0.53, 4/1/0.62 किता 2 रकवा 1.15 हैक्टर पर वन विभाग भरतपुर खातेदार दर्ज कर शुद्ध किया जाता है ।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलक्टर एवं,
उपखण्ड अधिकारी,कामां (डीग)